प्रेस नोट

दिनांक 19.11.2024, जनपद गोण्डा।

पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में जगदम्बा शरण सिंह इंस्टीट्यूट वेलसर गोण्डा के छात्र/छात्राओं को साइबर अपराधों से बचने के सम्बन्ध में किया गया जागरुक।

आज दिनांक 19.11.2024 को पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में जनपदीय साइबर सेल टीम द्वारा जगदम्बा शरण सिंह इंस्टीट्यूट बेलसर गोण्डा के छात्र/छात्राओं व उपस्थित समस्त स्टाफ को साइबर क्राइम से बचाव के लिए बरती जाने वाली सावधानियों से अवगत कराते हुए ओ.टी.पी. किसी व्यक्ति को साझा न करने, अनजान वीडियो कॉल रिसीव न करने, लॉटरी / ईनाम के कॉल, मैसेज के फ्राड होने की सम्भावना होने, अनजान व्यक्ति को यूपीआई पिन न बताने, किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर स्क्रीन शेयरिंग एप (जैसे एनी डेस्क, क्वीक सपोर्ट, टीमव्यूवर, स्क्रीन मिरर आदि) अपने फोन में कभी भी इंस्टाल न करें, सोशल नेटवर्किंग साइट पर होने वाले फ्राड की जानकारी दी तथा साइबर अपराध से तत्काल सुरक्षा व शिकायत दर्ज के लिए साइबर हेल्प लाइन नम्बर 1930 के बारे में जानकारी दी गयी साथ ही साइबर फ्रॉड होने पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने हेतु गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रदान की गयी वेवसाइट www.cybercrime.gov.in की भी जानकारी दी गयी। थाने पर आये जनसामान्य को तत्काल शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया एवं जनपद में स्थित साइबर सेल पुलिस व थाना स्तर पर बनी साइबर हेल्प डेस्क पर तुरन्त सम्पर्क कर शिकायत दर्ज कराने की जानकारी दी गयी। समस्त प्रकार के साइबर अपराध व उनसे बचाव के तरीकों से अवगत कराया गया व बताया गया कि किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफार्म का सुरक्षित व सावधानी पूर्वक उपयोग करें व किसी के बहकावें में न आकर अपनी फोटो व गोपनीय जानकारी कभी अनजान व्यक्ति से साझा न करें तथा किसी भी तरीके के साइबर अपराध होने पर तत्काल नजदीकी थाने के साइबर हेल्प डेस्क / महिला हेल्प डेस्क पर सम्पर्क कर शिकायत दर्ज करायें।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 19.11.2024, थाना नवाबगंज

जनपद गोण्डा।

थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थ के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 18.600 ग्राम अवैध स्मैक बरामद-

कार्यवाही:-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री विनय कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान अवैध मादक पदार्थ (18.600 ग्राम अवैध स्मैक) के साथ अभियुक्त विष्णु सिंह पुत्र राम शंकर सिंह निवासी ग्राम दत्तनगर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा को माला बगिया बहदग्राम महंगूपुर से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 18.600 ग्राम अवैध स्मैक बरामद किया गया । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना नवाबगंज में मु0अ0स0- 393/2024 धारा 8/21 एन0डी0पी0एस0 एक्ट पंजीकृत किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 19.11.2024 को थाना नवाबगंज के उ0नि0 उत्कर्ष कुमार पाण्डेय मय फोर्स शांति व्यवस्था हेतु क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि माला बगिया बहदग्राम महंगूपुर में अवैध मादक पदार्थ बेचने की सूचना प्राप्त हुआ। उक्त सूचना पर संदिग्ध व्यक्ति की तलाशी की गयी तो उसके कब्जे से अवैध मादक पदार्थ (18.600 ग्राम स्मैक) बरामद कर अभियुक्त विष्णु सिंह पुत्र राम शंकर सिंह निवासी ग्राम दत्तनगर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना नवाबगंज में मु0अ0स0- 393/2024 धारा 8/21 एन0डी0पी0एस0 एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. विष्णु सिंह पुत्र राम शंकर सिंह निवासी ग्राम दत्तनगर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा ।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0स0- 393/2024 धारा 8/21 एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

1. 18.600 ग्राम स्मैक(अवैध मादक पदार्थ) बरामद।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 उत्कर्ष कुमार पाण्डेय
02. हे0का0 सुनील यादव
03. का0 अरविन्द यादव
04. का0 अभिषेक यादव

मीडिया सेल, गोण्डा।